



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940
No. 643]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 878(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) के खंड 3 के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सं. सा.का.नि. 608 (अ) के तहत जारी 31 जुलाई, 2015 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार उक्त खंड के प्रयोजन हेतु, एतद्वारा श्री रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव, भारत सरकार को विशेष रूप से अधिकार प्रदान करती है।

[सं. यू-11022/14/2011-पीआईटीएनडीपीएस]

ओम प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2018

G.S.R. 878(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification dated 31st July, 2015 issued vide No. G.S.R. 608(E), the Central Government hereby specially empowers Shri Ravi Pratap Singh, Joint Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[No. U-11022/14/2011-PITNDPS]

OM PRAKASH, Dy. Secy.